



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

‘विद्युत नियामक भवन’

निकट आई.एस.बी.टी., पो 0ऑ0—माजरा, देहरादून

फोन—0135—2641119 फैक्स—2641314

PH. 0135-2641115 FAX- 2641314 Website www.uerc.uk.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रारूप, उविनिआ (नवीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म—ईंधन आधारित—सह—उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025 पर सुझाव आमंत्रण।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 सपठित धारा 86(1)(e) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यधारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात आयोग द्वारा प्रारूप, उविनिआ (नवीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म—ईंधन आधारित—सह—उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025 जारी किया गया है (मूल विनियम, 2023)। प्रारूप विनियम आयोग की वेबसाइट www.uerc.gov.in में अपलोड किया गया है।

2. उक्त प्रारूप विनियम पर सभी स्टakeहोल्डर्स अपने सुझाव/आपत्तियां, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 03.10.2025 तक लिखित रूप से डाक द्वारा, ई—मेल या स्वयं उपस्थित होकर उपरोक्त पते पर आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते हैं।
3. निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों पर प्रारूप संशोधित विनियम को अन्तिम रूप देते समय, आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

सचिव